न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 2023/55

1. शिव शंकर आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. बालमुकन्द आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. बंशीलाल आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. परमानन्द आत्मज किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. पार्वती पुत्री किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. कान्ती पत्नी किशोर जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) ।

—रेस्पोडेन्टगण

अपील संख्या : 2023/56

1. शिव शंकर आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. बालमुकन्द आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. बंशीलाल आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. परमानन्द आत्मज किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

2. पार्वती पुत्री किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. कान्ती पत्नी किशोर जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) ।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री मुकेश लोधा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलों में।

निर्णय

दिनांक: 21.08.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें, अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 91/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 21.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा समान विषयवस्तु की होने से दोनो अपीलों मे एक—साथ बहस सुनी जाकर उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की एक—एक प्रति अलग—अलग दोनों पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में वर्णित आराजी वाके माल ग्राम गोला पटवार क्षेत्र अरन्याकला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) में स्थित खाता संख्या 45 की खसरा नंबर 54 की रकबा 3.18 हेक्टर भूमि स्थित है । लगान राज छ रु0 51 पैसे दर्ज है। उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/8 1/8 अर्थात 1/4 शामलाती खाते मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न है। वादग्रस्त आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, बैंक से ऋण लेने, लगान जमा कराने, आराजी को डवलपमेन्ट करने में हर चार लडाई—झगडा विवाद होता रहता है। वादीगण द्वारा सहमति से बंटवारा करवाने की कहने पर आये दिन लड़ाई—झगडा करते रहते है दिनांक 16.07.2018 को विभाजन कराने की कहने पर गाली—गलोच व लडाई—झगड़ा करने पर उतारू हो गये तथा कहा की तुम्हारे समझ में आवे जेसा करो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो, ना ही

बंटवारा होने देंगे तथा प्रतिवादीगण कब्जा करने के प्रयास में है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया की बाद पत्र की मदनं । में वर्णित आराजी में वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करे कि ग्राम गोला की आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4 विभाजन कर लगान अलग अलग मुर्कर कर वादीगण, प्रतिवादीगण का भी विधिवत हिस्से अनुसार मौके पर जाकर कब्ज़ा संभलाया जाये। वादीगण को शांतिपूर्ण रूप से काश्त करते रहने दे। जिसमे किसी प्रकार से मदाखलत मदाहमत ना ही स्वयं करे ना ही किसी प्रतिनिधि से करावें । वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने दें। दौराने बाद वादग्रस्त आराजी को रहन, वैचान, खुर्दबुर्द नही करें। यदि प्रतिवादीगण वाद ग्रस्त आराजी पर कब्जा कर ले तो बेदखल किया जाकर कब्जा संभलाया जावे। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.07.2018 को बटवारा करवाने से मना करने व आराजी पर कब्जा करने, लड़ाई झगड़ा करने की धमकी देने के कारण हर समय वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। अन्त में वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि वाद–पत्र की गद नं. 1 में वर्णित आराजी माल ग्राम गोला पटवार क्षेत्र अरन्याकला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) में स्थित खाता संख्या 45 की खसरा नंबर 54 की रकबा 3.18 हेक्टर भूमि जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/8–1/8 अर्थात 1/4 शामलाती खाते मे दर्ज है, उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का विधिवत हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा अनुसार बंटवारा किया जाकर लगान राज भी अलग–अलग मुकर्रर फरमाई जावें यदि कब्जा वादीगण से निकल जायें तो वह भी मौके पर जाकर दखल दिलाया जावे। दौराने वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, वैचान, खुर्दबुर्द नहीं करें तथा वादीगण को शाति–पूर्वक कब्जे अनुसार काश्त करते रहने दे। वादीगण को उसके हिस्से पर किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत ना ही स्वयं करे ना ही किसी प्रतिनिधि से करावें साथ अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है वह भी प्रदान की जावें व खर्चा मुकदमा भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जायें।

4. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। दिनांक 21.02.2023 को दावा वादीगण व काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की गई।

5. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2023 के विरूद्ध अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से उक्त दोनों अपीलें अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 को जारी सम्मन नोटिस रजि.एडी. जारी किये एक माह से अधिक का समय हो जाने से तामील मानी गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में दोनो अपीलों के अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादीगण द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत उक्त याद में अपीलान्ट क्रम 1 द्वारा काउण्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया उक्त काउण्टर क्लेम गुणावगुण पर सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज कर दिया। जिसकी अप्रसन्नता से अपील प्रस्तुत है योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी स्थित खसरा नम्बर 54 रकबा 3.18 हैक्टर आराजी लगभग 24 साल पहले 60,000/- रूपये में अपीलान्ट क्रम 1 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया, किन्तु बेचान के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट क्रम 1 का कब्जा चला आ रहा है। उक्त तथ्य को अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध कर देने के बावजूद भी दावा रेस्पोडेन्ट का डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि मूल पुरूष कन्हैयालाल जी थे जिनके दो पुत्र किशना एवं रामप्रताप जी हुए किशना जी के परमानन्द, बालचन्द और पार्वती हुए व रामप्रताप जी के बंशीलाल बालमुकन्द, शिव शंकर अपीलान्ट हुए। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा गवाह रामकल्याण जी की उपस्थिति में अपीलान्ट को अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर दिया। जिसके आधार पर अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर दावा रेस्पोडेन्ट डिक्री कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी क्रम 1 परमानन्द के बयान न्यायालय में रिकॉर्ड किये गये उक्त बयानो में भी यादी द्वारा अपीलान्ट क्रम 1 को आराजी का बेचान करना स्वीकार करना और बेचान की गई आराजी पर अपीलान्ट क्रम 1 का कब्जा निरन्तर आबाध रूप से होना स्वीकार करने के बावजूद भी दावा डिक्री कर दिया जो

सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। तनकी नम्बर 1का फैसला केवल राजस्व रिकोर्ड के आधार पर वादीगण के पक्ष में कर दिया जबकि उक्त तनकी का फेसला अन्य तनकीयो के साथ करने पर अपीलान्ट के पक्ष में पुनः प्रमाणित है। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत गवाह रामकल्याण आत्मज बिरधीलाल व रामकल्याण आत्मज प्रभूलाल तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य का वादीगण किसी प्रकार से खण्डन नही करने के बावजूद भी और अपीलान्ट का कब्जा साबित कर देने के बावजूद भी दावा वादीगण डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम व 2 द्वारा प्रस्तुत बाद अन्तर्गत धारा 53, 183 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अपीलान्ट के विरुद्ध डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। ग्राम गौला स्थित आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 3.18 हैक्टर आराजी किशना एवं रामप्रताप के संयुक्त खातेदारी की आराजी रही है। जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही विभाजन कर लेने से पूर्वी हिस्सा किराना जी के व पश्चिमी हिस्सा अपीलान्ट को प्राप्त हुआ। किशना जी की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 व बालचन्द काबिज हुआ, जिनके द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर लिया। उक्त सहमति के अनुसार उत्तरी हिस्सा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को प्राप्त हुआ व दक्षिणी हिस्सा बालचन्द आत्मज किशना जी को प्राप्त हुआ। उक्त हिस्ता अनुसार बालचन्द जी द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट क्रम 3 को बेचान कर दिया और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अपना हिस्सा 5 बीघा भूमि अपीलान्ट क्रम 1 को लगभग 24–25 साल पूर्व रामकल्याण आत्मज बिरधीलाल के सामने 60,000/– रूपये में से 50,000/– रूपये प्राप्त कर कब्जा प्रदान कर दिया। तबसे ही अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, उक्त राशि में से शेष राशि 2 वर्ष बाद 27,000/– रूपये मय हर्जा खर्चा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोई राशि रेस्पोडेन्ट की बकाया नही होने और अपीलान्ट खरीद शुदा आराजी पर काबिज काश्त होने को प्रमाणित कर देने के बावजूद भी काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा खरीद की गयी आराजी पर काफी मेहनत एवं पैसा खर्च कर समतल किया, और लगभग 20 वर्ष पूर्व 3000 फीट लम्बी पाईप लाईन डालकर असिंचित से सिंचित किया। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य होने और रेस्पोडेन्ट हमेशा ही परिवार का वास्ता देने से अपीलान्ट विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं करवा सका। स्वयं वादी क्रम 1 द्वारा भी अपने वाद पत्र में धारा 183 आर टी एक्ट के अनुसार सहायता चाही है, इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट निरन्तर काबिज काश्त है अपीलान्ट क्रम शान्ति पूर्वक तरीके से अपने पर आराजी काबिज कारत होने के तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य

से एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कर देने के बावजूद भी काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट (वादीगण) अधीनस्थ न्यायालय में बटवारे का वाद पेश किया, उक्त वाद में अपने भाई बालचन्द आत्मज किशना को पक्षकार नही बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार है। उक्त संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कोई तनकी कायम की गई और न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ही दर्ज की गई। जबकि बटवारे के वाद में सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर दावा वादीगण डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी– क्रम 1 परमानन्द के बयान अधीनस्थ न्यायालय में रिकॉर्ड किये गये उक्त बयानों में भी वादी द्वारा अपीलान्ट क्रम 1 को आराजी का बेचान करना स्वीकार करना और बेचान की गई आराजी पर अपीलान्ट क्रम 1 का कब्जा निरन्तर आबाध रूप से होना स्वीकार करने के बावजूद भी दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत गवाह रामकल्याण आत्मज बिरधीलाल व रामकल्याण आत्मज प्रभूलाल तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य का वादीगण किसी प्रकार से खण्डन नहीं करने के बावजूद भी और अपीलान्ट का कब्जा साबित कर देने के बावजूद भी दावा वादीगण डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। तनकी नम्बर 1 का फैसला केवल राजस्व रिकोर्ड के आधार पर वादीगण के पक्ष में कर दिया जबकि उक्त तनकी का फेसला अन्य तनकीयो के साथ करने पर अपीलान्ट के पक्ष में पुनः प्रमाणित है। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2023 निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादी क्रम 4 (अपीलान्ट क्रम 1) का काउण्टर क्लेम डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण की एकतरफा बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावलियों व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न Ex D-1 जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 44 में दर्ज किता 7 रकबा 7.88 हैक्टेयर आराजी खातेदार परमानन्द पुत्र किशना, पार्वतीबाई पुत्री किशना, बंशीलाल पुत्र रामप्रताप, बालचन्द पुत्र किशना, बालमुकुन्द पुत्र रामप्रताप, शिवशंकर पुत्र रामप्रताप प्रत्येक का हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड है। Ex D-2 श्रीमान थानाधिकारी महोदय थाना सुकेत को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की सत्यप्रतिलिपी है। प्रदर्श D-3 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगंजमण्डी की आदेशिका की सत्य प्रतिलिपी है। Ex D-4 इस्तगासा अन्तर्गत 107, 151 जा0फौ0 पुलिस थाना

सुकेत जिला कोटा ग्रामीण की सत्य प्रतिलिपी है। Ex D-5 रोजनामचा के विवरण की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2018 की सत्य प्रतिलिपी है। डी.डब्ल्यु 1 शपथ पत्र शिवशंकर आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा का है। दो अलग अलग शपथ–पत्र रामकल्याण पुत्र बिरधीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के है। दो अलग अलग शपथ पत्र बालचन्द आत्मज श्रवण जाति गूर्जर निवासी गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के है। दो शपथ पत्र परमानन्द आत्मज किशना जाति गूर्जर निवासी गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा का है। प्रदर्श D-6A, प्रदर्श D-7A, प्रदर्श D-8A रसीदे है। अधिवक्ता अपीलांट ने हस्तगत अपीलों में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 परमानन्द ने अपीलांट संख्या 1 शिवशंकर को भूमि बेचान कर दी थी तथा तब से अपीलांट संख्या 1 का कब्जा है। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 4 विरचित की गई जो इस प्रकार है, "आया वादग्रस्त भूमियों में से अपना हिस्सा वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान कर चुका है। वादीगण का विगत 20 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है।" इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 से 4 पर था। अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्यों, गवाहों एवं विधि के प्रकाश में तनकी संख्या 4 का विवेचन किया गया है। यह स्थापित विधि है कि 100 रूपये से अधिक की संपत्ति के विकय को पंजीयन करवाया जाना भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत आवश्यक है। न्यायालय हाजा में एवं अधीनस्थ न्यायालय में में प्रतिवादी अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे अपीलांट कम 1 द्वारा विवादित भूमि विधिवत कय की गई हो। सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच हिस्से पर हक स्वत्व माना जाता है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 में पारित निष्कर्ष से सहमत है। जहां तक बालचंद को पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के कियात्मक आदेश में स्पष्ट है कि जमाबंदियों में अभिलिखित खातेदारान के मध्य होल्डिंग विभाजन का आदेश दिया है। अर्थात यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी खातेदारों के मध्य विभाजन के आदेश दिए गए है, अतः अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 21. 02.2023 को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे व जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर कुल 7 तनकीयां कायम की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारित किया है। तनकी संख्या 5 इस प्रकार है, "आया प्रतिवादी नं. 4 वादग्रस्त भूमि रकबा 5 बीघा का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित होने का हकदार है।" इसे साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का था। हमारे मत में प्रस्तुत रसीदों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। सहखातेदारों के मध्य प्रतिकूल कब्जे जैसी कोई अवधारणा लागू नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय में

प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को साबित करने में अपीलांटगण असफल रहे। हमारे समक्ष में प्रतिवादीगण अपीलांटगण काउंटर क्लेम के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज/तर्क प्रस्तुत करने में असफल रहे। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सहखातेदार की भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के विभाजन के बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर विधि अनुसार निष्कर्ष पारित किया है, जिससे हम सहमत है। प्रकरण में तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था। हमने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का पुनः अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व साक्ष्यों का विवेचन कर विधि–अनुसार निर्णय पारित किया है। एक सहखातेदार विधि–अनुसार अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवा सकता है। हम तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्षो से सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय के कियात्मक आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के सारभूत प्रश्न विवादित भूमि में विभाजन के सम्बंध में अभिलिखित सहखातेदारान के मध्य नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिए है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर पारित निष्कर्ष से सहमत है। अतः तनकीवार निर्णय को पुनः दोहराने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.02.2023 विधि सम्मत होने से उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटगण की ओर प्रस्तुत दोनो अपीले (अपील संख्या 2023/55 व अपील संख्या 2023/56) खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 91/2018 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.02.2023 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावलीयां निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु विलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2023/55

1. शिव शंकर आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. बालमुकन्द आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. बंशीलाल आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. परमानन्द आत्मज किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. पार्वती पुत्री किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. कान्ती पत्नी किशोर जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) ।

—रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 91/2018

1. परमानन्द आत्मज किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. पार्वती पुत्री किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—वादीगण

बनाम

1. कांतिबाई पत्नी किशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

2. बंशीलाल आत्मज रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. बालमुकुन्द आत्मज रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. शिवशंकर आत्मज रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—प्रतिवादीगण

अपील संख्या : 2023/56

1. शिव शंकर आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. बालमुकन्द आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. बंशीलाल आत्मज रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. परमानन्द आत्मज किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. पार्वती पुत्री किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. कान्ती पत्नी किशोर जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) ।

—रैस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 91/2018

3. परमानन्द आत्मज किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. पार्वती पुत्री किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—वादीगण

बनाम

6. कांतिबाई पत्नी किशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
7. बंशीलाल आत्मज रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

8. बालमुकुन्द आत्मज रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
9. शिवशंकर आत्मज रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 91/2018 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2023 के विरूद्ध उक्त अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2023** त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपीलें स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपीलें तारीख 21.08.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री मुकेश लोधा उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त दोनों अपीले अपील संख्या 2023/55, एवं 2023/56 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2023** बहाल रखे जाते है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 21.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा